न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मूल सिंह बनाम भूमियाँ तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र	
17.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 131, 132 कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 91, 92, 93, 94, 95 कुल किता 13 कुल रकबा 6. 27 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चारणवास उर्फ ज्ञान ध्यान का बास पटवार हल्का लांपुवा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। उक्त भूमियॉ प्रार्थी की पैत्रक कृषि भूमियॉ है। उक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 40, 41 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एंव भूमि खसरा नम्बर 27, 28, 48, 54, 55, 53 कुल किता 6 कुल रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा थें। उक्त खसरा नम्बरान् की खातेदारी आसदान वल्द दरीदान, शीशदान वल्द मुरारदान, गीगदान वल्द बीरदान के नाम सम्वत् 2021 से 2024 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी लेकिन सम्वत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी तैयार करते समय रेवेन्यू कर्मचारियों ने प्रार्थी के दादा मुराददान का नाम सहवन से भूरादान गलत अंकित कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी के पिता रामचन्द्रदान की विरासत का नामान्तरण करवाने के समय दिनांक 03.07.2020 को हुई है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थी के दादा के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में गलत होने के कारण अत्यधिक हकतल्फी है। प्रार्थी के पिता की विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम नहीं होने से सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा है। राजस्व रिकार्ड में ... राजस्व कर्मचारियों से निवेदन करने पर न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहे जाने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम भूरादान के स्थान पर मुरारदान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.19 13:41:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 दो, 2033 से 2036 दो, 2074–2077 दो व गवाहान् विजयसिंह पुत्र बस्तीदान चारण व हरिसिंह पुत्र शीशदान चारण के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट दिनांकित 19.11.2020 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के दादा का नाम भूरादान नही होकर वास्तविक नाम मुरारदान ही है। जो सही है। जिसे दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में की गई है।

अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 131, 132 कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 91, 92, 93, 94, 95 कुल किता 13 कुल रकबा 6.27 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चारणवास उर्फ ज्ञान ध्यान का बास पटवार हल्का लांपुवा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के दादा का नाम **भूरादान** के स्थान पर **मुरारदान** दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.19 13:41:21 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)